


# कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंपानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के पदो पर रिक्त/नियमित डीपीसी से पदोन्नत शिक्षको के सलग्न जिलेवार सूची मे अंकित नाम के आगे चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार पे बैंड पीबी-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200 मे पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयो मे पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उक्त या उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिको को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तो के अध्याधीन जारी किये जाते है:

1. इन कार्मिको को अपने पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक 07.11.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए उनका पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।
2. संबंधित संस्था प्रधानो को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है, तो संबंधित कार्मिक से लिखित मे पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर मण्डल जोधपुर को स्वीकृति हेतु दिनांक 11.11.2017 तक अनिवार्यतः भिजवा दे। संबंधित कार्मिक की सेवा पुरितका मे पदोन्नति परित्याग करने का इन्द्राज अनिवार्य रूप से करें।
3. इन कार्मिको को कार्यग्रहण करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) डीओपी/ए-II/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।
4. संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आदेश मे वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिको को कार्यमुक्त किया जावे अन्यथा भिन्नता की स्थिति मे तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
5. यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/निलम्बित है/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे एवं संबंधित नियन्त्रण अधिकारी जरिये ईमेल [ddjodsansthan@gmail.com](mailto:ddjodsansthan@gmail.com) एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
6. यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय मे लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी बी सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अन्तिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगे।
7. सूची मे अंकित कार्मिक यदि अन्तर मण्डल स्थानान्तरित हो गये है, तो यह आदेश लागू नहीं होगा।



(बंशीधर गुर्जर)  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

दिनांक :- 27.10.2017

क्रमांक :- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/रिक्त-पदो/उर्दू/17/1674(1)  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
2. सचिव, शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
4. निदेशक, अतिरिक्त राज्य परियोजना, रामाशिप जयपुर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
7. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
8. संबंधित संस्था प्रधान
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा संस्था प्रधान
10. अवधायक ईडी शाखा स्थानीय कार्यालय
11. रक्षक पंजिका



उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर


क्रमांक - ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/रिव्यू-पदो/पद0/17/ 1674

दिनांक -

विषय - उर्दू (रिव्यू डीपीसी)

आदेश संख्या - 1

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता निर्धारण वर्ष	नाम/ पिता-पति का नाम एवं पदस्थापन	जिला	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3579	1994-1995	निगहत / न्याज मो० राप्रावि जनता कोलोनी (जोधपुर)	जोधपुर	सामान्य	13-03-71	2008-09	GUPS MASJID KI DHANI RIN, PHALODI, JODHPUR



(बंशीधर गुर्जर)

उप निदेशक (माध्यमिक)

शिक्षा विभाग, जोधपुर